कार्यालय जिलाधिकारी, लखनऊ

कार्यालय दूरभाष सं0 : 0522-2623912, 0522-2614700 फैक्स सं0: 0522-2230099 ई-मेल :dmawaslko@gmail.com

पत्रांक : 214/050/2020

दिनांक : 15-03-2020

आदेश

उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग–5 की अधिसूचना संख्या–548 / पांच–5 / 2020 के प्रस्तर 12 (बारह) में प्रदत्त शक्ति एवं विहित व्यवस्था के क्रम में सभी तत्संबंधी परिसर स्वामियों, संचालकों एवं प्रबंधकों को आदेशित किया जाता है कि जनपद लखनऊ के समस्त सिनेमा हॉल / मल्टीप्लेक्स, क्लब्स / डिस्को(Disco), तरण ताल(Swimming pool) एवं व्यायामशालाएं(Gym) दिनांक 31 मार्च 2020 तक के लिए बंद किए जाएं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। आदेश का उल्लंघन उपरोक्त अधिसूचना के प्रस्तर 15 में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दंडनीय होगा।

15/3/2020

(अभिषेक प्रकाश)
जिलाधिकारी, लखनऊ

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
2. पुलिस आयुक्त, लखनऊ (नगर), लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अपने स्तर से सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों से अनुपालन कराने का कष्ट करें।
3. मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ।
4. समस्त अपर जिलाधिकारी, लखनऊ।
5. पुलिस अधीक्षक(ग्रामीण), लखनऊ को इस निर्देश सहित प्रेषित कि अपने स्तर से सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों को अनुपालन हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
6. नगर मजिस्ट्रेट / समस्त अपर नगर मजिस्ट्रेट, लखनऊ।
7. समस्त उप जिलाधिकारी, लखनऊ।
8. मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ।
9. जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ।
10. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ।
11. क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, लखनऊ।
12. जिला मनोरंजन कर अधिकारी, लखनऊ।
13. जिला आबकारी अधिकारी, लखनऊ।
14. जिला क्रीड़ा अधिकारी, लखनऊ।
15. उप निदेशक, सूचना, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि उक्त आदेश की सूचना का प्रकाशन जनहित में समस्त समाचार–पत्रों में निःशुल्क कराना सुनिश्चित करें।

(अभिषेक प्रकाश)
जिलाधिकारी, लखनऊ